मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)
परिशिष्ट घ संख्यांक–1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी : जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर आई.ए.एस

सं. 117/2016
सीएमएस : 2016/00684

1. अश्वनी कुमार पुत्र तरसेम कुमार जाति अरोड़ा निवासी 111 जी. ब्लॉक श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. पंकज पुत्र तरसेम कुमार जाति अरोड़ा निवासी 111 जी. ब्लॉक श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. शुभम पुत्र तरसेम कुमार जाति अरोड़ा निवासी 111 जी. ब्लॉक श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1. तरसेम कुमार पुत्र गोकलचन्द जाति अरोड़ा निवासी 48 जीजी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/04/2023

वाद के आज श्री कर्ण जोशी अधिवक्ता वादीगण एवं श्री राजीव जग्गा अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 की उपस्थिति में अंतिम निस्तारण हेतु पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वाद पत्र वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया किया जाता हैं तथा विवादित भूमि चक 3 जीपीएम बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता की प.नं. 269/361 मु.नं.6 कि.नं. 1 ता 13/1 की कुल खाता सं. 3.162है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं. 1 तरसेम कुमार को प्राप्त विरास्तन 1/24 हिस्सा में से वादीगण को 3/4 हिस्सा यानि 0.0988 है. रकबा भूमि का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज कुल खातेदारी भूमि में 0.0988है. भूमि कम करते हुए वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं।

शेष अंकन यथावत रहेगा। बैंक आदि के रहन का अंकन यथावत रहेगा। भूमि की श्रेणी/किस्म (सिंचित, असिंचित, गै.मु. इत्यादि) परिवर्तित नहीं की जाएगी।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 13/04/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.05.29 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्च

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	–	3. प्लीडर की फीस	–
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	–	4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	5. आदेशिका की तामील	–
6. कमिश्नर की फीस	–	6. कमिश्नर की फीस	–
7. आदेशिका की तामील	–		–
जोड़	2	जोड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

ठासीन अधिकारी :– जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर आई.ए.एस.

. 117/2016

ीएमएस : 2016/00684

1. अश्वनी कुमार पुत्र तरसेम कुमार जाति अरोड़ा निवासी 111 जी. ब्लॉक श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. पंकज पुत्र तरसेम कुमार जाति अरोड़ा निवासी 111 जी. ब्लॉक श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. शुभम पुत्र तरसेम कुमार जाति अरोड़ा निवासी 111 जी. ब्लॉक श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1. तरसेम कुमार पुत्र गोकलचन्द जाति अरोड़ा निवासी 48 जीजी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88–92ए–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

थिति :–
1. श्री कर्ण जोशी, वकील वादीगण
2. श्री राजीव जग्गा, वकील प्रतिवादी सं. 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/04/2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. वादीगण वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत 2070–2073 चक 3 एलपीएम बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता सं. 39/6 में प.नं. 269/361 मु.नं.6 के कि.नं. 1 ता 13/1 की कुल खाता सं. 3.162है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में से 1.845है. नहरी का 1/2 भाग यानि 0.9225 है. नहरी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है, जो प्रतिवादी सं.1 की स्वअर्जित नहीं होकर वादीगण के दादा गोकलचन्द से विरास्तन प्राप्त होने से जद्दी जायदाद(पैतृक सम्पति) की परिभाषा में आती है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की वैध संतान होने से उन्हें जन्म से ही विवादित रकबा में पैतृक सम्पति होने से हक हकूक व अधिकार निहित होकर तदनुसार वे अपने भाग के रकबा पर भी काबिज काश्त प्रतिवादी सं. 1 के साथ चले आ रहे हैं। इस प्रकार विवादित रकबा पैतृक सम्पति होने से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का प्रत्येक का 1/4–1/4 भाग अर्थात 0.2306है. भूमि बनती हैं और तदनुसार वादीगण विवादित रकबा में अपने अपने भाग कुल 3/4 भाग अर्थात 0.6918 है. नहरी खातेदारी रकबा पर अपने खातेदारी रकबा पर अपने खातेदारी हक हकूक व अधिंकारों को घोषित रकबा पाने के विधिक अधिकारी हैं।

प्रतिवादी सं. 1 वृद्ध आयु का रंगीन मिजाजी व अयाशी प्रवृति का व्यक्ति है तथा विभिन्न प्रकार के नशे का आदि है और कुछ ... नशा सेवन से उसकी शारीरिक व मानसिक हालत अत्यंत खराब ... शरीर से स्वस्थ व स्थिर एकचित नहीं है उसे अच्छे–बुरे का ... भला–बुरा समझने की शक्ति व समझ उसमें रही है ... करता है और लड़ाई झगड़ा करता हैं। प्रतिवादी सं. 1 की उक्त स्थिति का ... नाजायज लाभ उठाने के लिए वादीगण के विरोधी लालची प्रवृति के व्यक्तियों ने उन्हें अपने बेजा प्रभाव व दबाव में लेते हुये वादीगण को पैतृक सम्पति से वंचित करने की कुचेष्टा में हैं। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से अनुरोध करते रहे कि वह विवादित रकबा पर उनके खातेदारी हक हकूक व अधिकारों को स्वीकारते हुये अभिलेखों में भूमि उनके नाम से अमलदरामद करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे तथा अपने नाम के रकबा को किसी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.05.29 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

बहकावे अथवा प्रभाव व दबाव में आकर खुर्द बुर्द करने से बाज व मननू रहे तो वह प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 24.07.2016 को बमुकाम 48 जीजी में वादीगण की किसी बात को मानने से स्पष्ट रूप से इंकार होकर धमकी दी कि विवादित रकबा उसके अकेले के नाम से दर्ज होने का बेजा नाजायज फायदा उठा वादीगण को विवादित रकबा में उनके पैतृक हिस्सा से वंचित करते हुये किसी अन्य को रहन बैय या अन्य तरकी से हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा। यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत हैं।

वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज 0.9225 है. नहरी भूमि को पैतृक सम्पति होना घोषित कर उसमें वादीगण के 3/4 भाग यानि 0.6918है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि पर हक हकूक व अधिकार घोषित किये जाकर घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 पारित करने तथा डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद के आदेश देने एवं स्थाई व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थिति हुए। प्रतिवादी सं. 1 जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 की भुआ माया देवी व शांति देवी ने अपने विरासतन हक एवं हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी सं. 1 व भाई रविन्द्र कुमार के पक्ष में ब0हि0ब0 जरिये दस्तबरदारी छोडा हुआ है व प्रतिवादी को अपनी भूआ से 0.791है. भूमि प्राप्त हुई है इस प्रकार उपरोक्त विवादित भूमि 0.9225 प्रतिवादी को जदी जायदाद नहीं मानी जा सकती उसमें से 0.791है. भूमि जरिये दस्तबरदारी प्राप्तशुदा है जिसमें वादीगण का किसी प्रकार को कोई हक एवं हिस्सा नहीं बनता है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि में प्रत्येक0.2306है. के हिसाब से 0.6918है. भूमि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं व न ही चाहा गया हिस्सा वादीगण का किसी प्रकार बनता हैं। वादीगण भूमि हडप करने की फिराक में है व जमीन के लालच में वादीगण का व्यवहार प्रतिवादी के साथ क्रूरतापूर्ण चल रहा हैं जिनके द्वारा प्रतिवादी की कभी दखभाल व सार सम्भाल नहीं की है तथा वादीगण द्वारा अपने पुत्र दायित्वों को नहीं निभाया जा रहा हैं व वादीगण स्वयं गलत संगत में आये हुए हैं। वादीगण का विवादित भूमि में जब तक प्रतिवादी जीवित हैं किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहहीं हैं। प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पढाई लिखाई व समय समय पर नगदी आदि देकर काफी धन वादीगण पर खर्च किया जा चुका है इसलिए अब विवादित भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1 अकेला ही उक्त भूमि का अधिकारी होने के कारण राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादी सं. 1 अकेले के नाम से दर्ज खातेदारी हैं। जिस पर शुरू से ही प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। यही भूमि प्रतिवादी के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन हैं। प्रतिवादी वृद्ध है, वादीगण द्वारा प्रतिवादी की कोई सार सम्भाल नहीं की जा रही है ना ही कोई गुजारा भत्ता राशि अदा की जा रही हैं। वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध कोई बिनाए दावा व मुखास्मत दावा हासिल नहीं हैं। रजिस्टर्ड दस्तबरदारी प्रतिवादी के पक्ष में तहरीर तकमील व तरदीक करवाई हुई हैं जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से ही हैं इसलिए जरिए दस्तबरदारी प्राप्त भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी में नहीं आती हैं, इसलिए वाद पत्र चलने लायक नहीं हैं। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं हैं काबिल खारिज के हैं। वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी सं. 2 की ओर से [illegible] वाद की मदों को रिकार्ड अनुसार इल्मी एवं अन्य समस्त [illegible] अंकित किया हैं।

3. प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी। वादीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पर अश्वनी कुमार का पेश हुआ जिस पर ब्यान दर्ज कर दस्तावेज पेश किये गये एवं जिरह पूर्ण की गयी। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से शपथ पत्र तरसेम कुमार का पेश हुआ हैं। जिस पर ब्यान दर्ज कर दस्तावेज प्रदर्श किये गये एवं जिरह पूर्ण की गयी।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादीगण अपनी बहस में कथन किया हैं कि विवादित भूमि वादीगण के पिता को विरासतन उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं, जो वादीगण की पैतृक सम्पति(जद्दी जायदाद) की श्रेणी में आती हैं जिस पर वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.05.29 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

जन्म से ही हक एवं अधिकार प्राप्त हैं। प्रतिवादी सं. 1 नशे का आदि होने के कारण उक्त भूमि को बेचान कर वादीगण को उनके विधिक अधिकारों से वंचित करना चाहता हैं। प्रतिवादी सं 1 वादीगण के साथ नहीं रहता हैं। वादीगण का प्रतिवादी सं 1 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज हिस्सा की भूमि में प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर हक निहित हैं। वादीगण अपने 3/4 हिस्सा भूमि पर अपने अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं। अतः वाद वांछित अनुतोष अनुसार डिक्री करते हुए वादीगण का विवादित भूमि में 3/4 हिस्सा की घोषणा कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी सं. 1 अपनी बहस में जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी के नाम से रिकार्ड में दर्ज भूमि में से 0.791है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 को उसकी भूआ शान्ति देवी व माया देवी के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व उसके भाई रविन्द्र कुमार के पक्ष की रजिस्टर्ड दस्तबरदारी से प्राप्त हुई हैं, जिस पर वादीगण को कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं हैं ना ही वादीगण उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 की देखभाल नहीं की जाती हैं। ना ही भरण पोषण हेतु कोई राशि प्रतिवादी को वादीगण द्वारा अदा की गयी हैं। प्रतिवादी वृद्ध व्यक्ति हैं, जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त भूमि ही हैं। अतः वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय विवेचन निम्न प्रकार से हैं –

तनकी सं. 1 : आया कि विवादित भूमि चक 3 एलपीएम बी के संयुक्त खाता 39/16 प.नं. 269/361 मु.नं. 6 की 3.162है. नहरी मय खाला में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि वादीगण के दादा गोकलचन्द से विरास्तन प्राप्त होने पर जद्दी जायदाद है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श सं. 1 प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण सं. 111 स्वीकृत दिनांक 05.04.2010 प्रस्तुत किया हैं जिस अनुसार प.नं. 269/361 मु.नं. 6 के कि.नं. 1 से 13/1 की कुल 3.162है. कमाण्ड मय खाला भूमि कर्मचन्द पुत्र खेतामल अरोड़ा से विरास्तन माया देवी–गोकलचन्द–शान्ति देवी–डोगरदास पि0 कर्मचन्द अरोड़ा को हर चार ब.हि.ब. प्राप्त हुई हैं। दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श सं. 2 प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण सं. 112 स्वीकृत दिनांक 20.04.2010 प्रस्तुत किया हैं जिस अनुसार उपरोक्त भूमि माया देवी–गोकलचन्द–शान्ति देवी–डोगरदास पि. कर्मचन्द से गोकलचन्द की मृत्यु हो जाने के पश्चात गोकलचन्द के वारिसान कृष्णा देवी, रविन्द्र कुमार, तरसेम कुमार, कलास रानी, वीना रानी, रीटा रानी को जरिए विरास्तन एवं दस्तबरदारी के द्वारा रविन्द्र कुमार, तरसेम कुमार 1.845है. पि. गोकलचन्द, कृष्णा देवी पत्नी गोकलचन्द 0.131है., कलास रानी, वीना रानी, रीटा रानी 0.395है. पि0 गोकलचन्द व डोगरदास पुत्र कर्मचन्द 0.791है. अरोड़ा खातेदार दर्ज हुई।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श सं. 3 प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 3 एलपीएम बी संवत 2070–2073 खाता सं. 39/6 में दर्ज अनुसार प.नं. 269/361 मु.नं. 6 कि.नं. 1 से 13/1 की कुल 3.162है. कमाण्ड मय खाला भूमि रविन्द्र कुमार, तरसेम कुमार बहिब 1.845है. पि. गोकलचन्द, कृष्णा देवी पत्नी गोकलचन्द 0.131है., कलाश रानी, वीना रानी, रीटा रानी पि0 गोकलचन्द हर तीन बहिब 0.395है., ज्ञान देवी पत्नी डोग[illegible] सुशील कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार पि0 डोगरराम हर पांच [illegible] है. कौम अरोड़ा सा. श्रीनगर खातेदार राहिन हि. तरसेम कु[illegible] के मुर्तहीन दर्ज हैं। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में प्र[illegible] चित्रप्रति रजिस्टर्ड दस्तबरदारी माया देवी शान्ति दे[illegible] तरसेम कुमार दिनांक 12.04.2010 अनुसार माया देवी एवं शान्ति देवी द्वारा अप[illegible] हिस्सा की समस्त भूमि को अपने भतीजों रविन्द्र कुमार एवं तरसेम कुमार के पक्ष में बहिस्सा बराबर दस्तबरदारी करके लिख के दे दी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.05.29 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 तरसेम कुमार के नाम दर्ज हिस्सा की समस्त भूमि को वादीगण की पैतृक सम्पत्ति मानते हुए उसमें से वादीगण के 3/4 हिस्सा के

खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। विवादित समस्त 3.162है. भूमि कर्मचन्द के नाम से दर्ज थी। कर्मचन्द की मृत्यु के पश्चात भूमि गोकलचन्द आदि को विरासतन प्राप्त हुई जिसमें गोकलचन्द, माया देवी, शान्ति देवी, डोगरदास प्रत्येक को 1/4 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई। गोकलचन्द की मृत्यु के पश्चात उनके हिस्सा की भूमि गोकलचन्द के वारिसान कृष्णा देवी(पत्नी) रविन्द्र कुमार–तरसेम कुमार (पुत्र) कलाश रानी–बीनारानी–रीटारानी (पुत्रीयां) को विरासतन प्राप्त हुई। साथ ही माया देवी एवं शान्ति देवी द्वारा अपने हिस्सा की भूमि की रजिस्टर्ड दस्तबरदारी रविन्द्र कुमार एवं तरसेम कुमार के पक्ष कर देने के कारण माया देवी एवं शान्ति देवी के हिस्सा की भूमि रविन्द्र कुमार एवं तरसेम कुमार को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई।

प्रदर्श – 1 अनुसार कर्मचन्द की मृत्यु होने पर माया देवी एवं शान्ति देवी ने भूमि विरासतन में प्राप्त की थी एवं प्रदर्श ए1–ए अनुसार माया देवी एवं शान्ति देवी द्वारा अपने हिस्सा की भूमि की अपने भतीजों रविन्द्र कुमार एवं तरसेम कुमार के पक्ष में दस्तबरदारी निष्पादित पंजीबद्ध करवा दी। प्रदर्श –2 अनुसार गोकलचन्द की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नाम से भूमि विरासतन दर्ज हुई तथा दस्तबरदारी माया देवी आदि के आधार पर रविन्द्र कुमार –तरसेम कुमार के नाम से माया देवी व शान्ति देवी के हिस्सा की भूमि दर्ज हुई हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार हिन्दू नारी पूर्ण स्वामी के रूप मे भूमि धारण करती हैं। माया देवी एवं शान्ति देवी अपने हिस्सा की भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त थे, जिसके अनुसार उन्होने अपने हिस्सा की भूमि रविन्द्र कुमार व तरसेम कुमार के पक्ष मे छोड़ दी। अतः माया देवी एवं शान्ति देवी की भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पति नहीं कहा जा सकता हैं। अतः माया देवी एवं शान्ति देवी से प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक सम्पति न होकर उसकी स्वःअर्जित सम्पति हो जाती हैं। अतः रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज समस्त भूमि प्रतिवादी को अपने पिता से विरास्त प्राप्त पैतृक सम्पति नहीं हैं।

अतः **तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण किया जाता हैं।**

तनकी सं. 2 : आया कि उक्त जद्दी जायदाद भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1.845है. नहरी 1/2 भाग यानि 0.922है. जद्दी जायदाद घोषित कराकर 3/4 हिस्सा यानि 0.691है. भूमि के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। तनकी सं. 1 में हुए निर्णय अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से रिकार्ड दर्ज समस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक सम्पति नहीं होने के कारण वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की 0.922है. भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी नहीं हैं। परन्तु विवादित भूमि में कर्मचन्द की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 के पिता गोकलचन्द को प्राप्त 1/4 हिस्सा भूमि में गोकलचन्द की मृत्यु पश्चात उनके वारिसान कृष्णा देवी, रविन्द्र कुमार, तरसेम कुमार, कलाश रानी, वीना रानी, रीटा रानी प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि विरासतन प्राप्त करने के अधिकारी थे। जिस अनुसार प्रतिवादी सं. 1 तरसेम कुमार को विरासतन 1/24 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई हैं। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहदायिकी का निर्माण करते हैं, जिस कारण विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त पैतृक भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ साथ वादीगण का हिस्सा भूमि निहित हैं। जिस अनुसार वादीगण विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के विरासतन प्राप्त 1/24 हिस्सा में से अपने 3/4 हिस्सा की घोषणा [illegible] हैं।

अतः **यह तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक [illegible] र्णित की जाती हैं।**

तनकी सं. 3 : आया कि विवादित [illegible] के मु.नं. 6 की 3.162है. नहरी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 [illegible] देवी ने विरासतन से प्राप्त हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी सं. [illegible] आई रविन्द्र कुमार के पक्ष में बहिब 0.797 जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुई थी तथा उपरोक्त 0.925है. भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती हैं, हिस्सा घोषित कराने का अधिकारी नहीं हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा साक्ष्य दस्तावेज दस्तबरदारी माया देवी आदि बहक रविन्द्र कुमार आदि प्रस्तुत किया गया हैं। उपरोक्त तनकी के संबंध में विस्तृत विवेचन तनकी सं. 1 के निर्णय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.05.29 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

किया जा चुका हैं जिस अनुसार प्रतिवादी सं. 1 तरसेम कुमार को जरिए दस्तबरदारी प्राप्त भूमि प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी में आने के कारण उसमें से वादीगण किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करे के अधिकारी नहीं हैं। तनकी सं. 2 में पारित निर्णय अनुसार प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता से विरासतन में प्राप्त भूमि में से वादीगण को अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होना उपयुक्त पाया हैं। अतः समस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 की जददी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती है, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी में आती है जिसमें से वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

अतः **यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती हैं।**

तनकी सं. 4 : आयाकि विवादित भूमि स्वःअर्जित सम्पति की श्रेणी में आती हैं। इसलिए वादीगण का कोई हक एवं हिस्सा कराने के अधिकारी नहीं हैं। वाद खारिज योग्य हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। इस तनकी के संबंध में विस्तृत विवेचन तनकी सं. 1 से 3 में किया जा चुका हैं। समस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्व अर्जित सम्पति नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता से विरासतन में प्राप्त भूमि में से वादीगण को अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होना उपयुक्त पाया हैं।

अतः **इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादी किया जाता हैं।**

5. उपरोक्त तनकीवार निर्णय के सारतः प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज हिस्सा की खातेदारी विवादित भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के विरासतन प्राप्त 1/24 हिस्सा में से वादीगण को अपने 3/4 हिस्सा की घोषणा करवाए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया हैं। जिस अनुसार वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना उचित हैं। अतः वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

–:: क्रियान्वय आदेश ::–

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया किया जाता हैं तथा विवादित भूमि चक 3 एलपीएम बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता की प.नं. 269/361 मु.नं.6 के कि.नं. 1 ता 13/1 की कुल खाता सं. 3.162है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं. 1 तरसेम कुमार को प्राप्त विरासतन 1/24 हिस्सा में से वादीगण को 3/4 हिस्सा यानि 0.0988 है. ब.हि.ब भूमि का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज कुल खातेदारी भूमि में 0.0988है. भूमि कम करते हुए वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं।

शेष अंकन यथावत रहेगा। बैंक आदि के रहन का अंकन यथावत रहेगा। भूमि की प्रकृति/किस्म (सिंचित, असिंचित, गै.मु. इत्यादि) परिवर्तित नहीं की जाएगी।

इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक ...13/04/2023... को लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.05.29 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर